न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1336-एक/2012 - विरूद्ध आदेश दिनांक 13-04-2012 - पारित व्दारा - अपर आयुक्त, चंबल संभाग मुरैना - प्रकरण क्रमांक 08/2011-12 निगरानी

1- रोमेश सिंह 2- तेज सिह
दोंनो नावालिक पुत्रगण रामनरेश सिंह
सरपरस्त माता रानीदेवी ग्राम बसंतपुरा ---आवेदक
तहसील रौन जिला भिण्ड

विरूद्ध

1- श्रीमती रेखा पत्नि स्व.किशन सिंह
ग्राम गुलाब नगर तहसील मल्लावा
जिला हरदोई उत्तर प्रदेश
2- पुनू सिंह पुत्र सिरावन सिंह ग्राम
बसंतपुरा तहसील रौन जिला भिण्ड
3- रामनरेश पुत्र पुनूसिंह ग्राम बसंतपुरा
तहसील रौन जिला भिण्ड
4- श्रीमती मुन्नीदेवी पुत्री पुनूसिंह पत्नि नरसिंह
ग्राम बारहेट तहसील मिहोना जिला भिण्ड
5- श्रीमती मुलादेवी पुत्री पुनूसिंह पत्नि प्रहलादसिंह
ग्राम रोहनी तहसील लहार जिला भिण्ड
6- श्रीमती हीरूदेवी पुत्री पुनूसिंह पत्नि दिनेशसिंह ---अनावेदकगण
ग्राम जम्हौरा तहसील अटेर जिला भिंड

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री आर0एस0सेंगर)
(अनावेदक-1के अभिभाषक श्री एस.एन.श्रीवास्तव)
(अनावेदक-2 से 6 के अभिभाषक श्री रामसेवक शर्मा)
(अनावेदक-3 सूचना उपरांत अनुपस्थित-एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 7 - 1 - 2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 8/2011-12 निगरानी में पारित आदेश दि. 13-4-2012 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक क्रमांक-2 पुनूसिंह ने तहसीलदार रोन को मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 178 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर मौजा रओ, मौजा बसंतपुरा की शामिलाती भूमि के बटवारा किये जाने की मांग की। तहसीलदार रौन ने प्र. क्र. 5/2008-09 अ 27 पंजीबद्ध किया तथा आदेश दिनांक 24-2-2009 से बटवारा स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्ध महिला रेखा देवी ने अनुविभागीय अधिकारी लहार के समक्ष अपील क्रमांक 257/09-10 प्रस्तुत करने पर आदेश दिनांक 30.10.2010 से अपील स्वीकार की गई एंव प्रकरण हितबद्ध पक्षकारों को सुनकर पुनः आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया गया। इस आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर, भिण्ड के समक्ष निगरानी क्रमांक 11/2010-11 प्रस्तुत हुई, जिसमें सुनवाई प्रारंभ की गई, सुनवाई के दौरान आवेदकगण की ओर से म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 32 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसकी प्रति अंतरिम आदेश दिनांक 30.11.2011 से अनावेदक/रिस्पा. को दी जाकर उत्तर हेतु प्रकरण लगाया गया। इसी अंतरिम आदेश के विरूद्ध पुनू सिंह एंव अन्य ने अपर आयुक्त, चंबल संभाग मुरैना के समक्ष निगरानी क्रमांक 8/11-12 प्रस्तुत कर दी। सुनवाई के दौरान निगरानीकर्तागण ने 17-2-12 को आवेदन देकर बताया कि म0प्र0शासन द्वारा 30-12-2011 को भू राजस्व संहिता में सॅशोधन किया गया है जिसके अनुसार निगरानी सुनने की अधिकारिता न्यायालय को नहीं है, इसलिये सक्षम न्यायालय में निगरानी सुनने हेतु वापिस की जाय। तदपरांत दूसरा आवेदन 16-3-12 को प्रस्तुत कर बताया कि आवेदकगण निगरानी में किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं चाहते

हैं। अपर आयुक्त, चंबल संभाग मुरैना द्वारा प्रकरण 8/2011-12 निगरानी में पारित आदेश दि. 13-4-2012 से आवेदन स्वीकार कर निगरानी समाप्त कर दी। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाए गए बिन्दुओं पर हितबद्ध पक्षकारों के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनावेदक क्रमांक-2 पुनूसिंह ने तहसीलदार रोन को संहिता 1959 की धारा 178 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर मौजा रओ, मौजा बसंतपुरा की शामिलाती भूमि के बटवारा किये जाने की मांग की थी जिसे तहसीलदार रौन ने प्र. क्र. 5/2008-09 अ 27 में पारित आदेश दिनांक 24-2-2009 से बटवारा स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्ध महिला रेखा देवी ने अनुविभागीय अधिकारी लहार के समक्ष अपील क्रमांक 257/09-10 प्रस्तुत करने पर आदेश दिनांक 30.10.2010 से अपील स्वीकार की एंव प्रकरण हितबद्ध पक्षकारों को सुनकर पुनः आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया गया। इस आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर भिण्ड के समक्ष एंव अपर आयुक्त, चंबल संभाग के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई है एंव अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 13-4-2012 निगरानी निरस्त की है जिसके कारण अपर कलेक्टर, भिण्ड का आदेश दिनांक 30.11.2011 यथावत् हुआ है जबकि अपर कलेक्टर भिण्ड के न्यायालय में निगरानी का अंतिम रूप से निराकरण होना शेष है। मध्य प्रदेश अधिनियम क्रमांक 42 सन् 2011 व्दारा (30.12.2011) से प्रतिस्थापित कर

नियम बने हैं कि जो निगरानी उक्तावधि के पूर्व जिन न्यायालयों में प्रचलित रही है उनका निराकरण उन्हीं न्यायालयों में पूर्व की भॉति किया जावेगा अर्थात अपर कलेक्टर के यहॉ निगरानी प्रकरण का अंतिम विनिश्चय् होना है तथा उभय पक्ष को अपना-अपना पक्ष अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करने का उपचार प्राप्त है जिसके कारण अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 13-4-2012 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, चंबल संभाग मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 8/2011-12 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 13-4-2012 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर